

Government of India  
Ministry of Home Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, the 8 October, 1968.

625 17.11.1968  
0.8.10.1968  
225

S.O. 36/2.- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No.S.O. 3269 dated the 1st November, 1966, in so far as it relates to the exercise of powers and functions under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) by the Administrator of the Union territory of Chandigarh, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the appropriate Government under -

(i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except those of the Central Government under the provisos to sub-section (1) of section 55, and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963,

shall also be exercised and discharged by the Administrator of the Union territory of Chandigarh, within the said Union territory.

[No.F.2/8/68-UTL]

(K. R. Prabhu)

Joint Secretary to the Govt. of India.

To

The General Manager,  
Government of India Press,  
Main Wing, NEW DELHI.

No.F.2/8/68-UTL

New Delhi, the 8 October, 1968.

1. Copy (with ten spare copies) along with ten copies of the Hindi version of the notification forwarded to Shri S. S. Mongia, Under Secretary, Chandigarh Administration, CHANDIGARH, with reference to his d.o. letter No.5506/G dated 18th July, 1968, to Shri B. C. Parija. The powers delegated by this notification cannot/exercised with retrospective effect.

P.T.O.

Page 84

SUPERSEDED  
18-10-68

be

(80)

भारत के राजपत्र ज्ञाधारण के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख

8 अक्टूबर, 1968 में प्रकाशित। प्रकाशित

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1968

अधिसूचना

का०आ० 36/3 संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसार में, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3269, तारीख 1 नवम्बर, 1966 के अहाँ तक वह चण्डीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा भूमि अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन की शक्तियाँ और कृत्यों के प्रयोग से सम्बन्धित है, मांगत: उपान्तरण में राष्ट्रपति एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अधीन रहती हूँ और जब तक कि अतिरिक्त आदेश न हो; -

(i) भूमि अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुओं के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ और कृत्यों को छोड़कर उस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार की, शक्तियाँ और कृत्यों का, और

(ii) भूमि अधिनियम (कम्पनी) नियम, 1963 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियाँ और कृत्यों का,

प्रयोग और निर्वहण चण्डीगढ़ संघराज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी उक्त संघ राज्यक्षेत्र के अन्तर् क्रिया जायगा।

( फा० 0218/68 सं० आ० 0 )

( कै० आर० प्रभु )

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

महाप्रबन्धक,  
भारत सरकार,  
भारतिका, नई दिल्ली।